प्रेस नोट दिनांक- 20.09.2024

थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली

▶ थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक के साथ किये गये फ्राड की धनराशि -30000/- रुपये कराया गया वापस

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय विनय कुमार सिंह व पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण/ मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक राहुल पटेल पुत्र शिवकुमार पटेल निवासी सैदपुर साहूपुरी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 30000/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में राहुल पटेल उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया।

इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 30000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक राहुल पटेल उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता- राहुल पटेल पुत्र शिवकुमार पटेल निवासी सैदपुर साहूपुरी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामद धनराशि- रू. 30000/-

दिनांक घटना- 02.09.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
- हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा
- का0 अनिल कुमार
- का0 मनोज चौहान
- का0 सन्तोष कुमार यादव
- का0 आशुतोष भारद्वाज
- का0 राहुल सिंह

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 20.09.2024

जनपद- चन्दौली

□ जिला अधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फूंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 01 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधी के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही

चन्दौली: जिला अधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फूंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओ में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 01आदतन अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इस अपराधी को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधी का आपराधिक इतिहास-

1.दीपक पुत्र लालमनि राम निवासी ग्राम- बिसूपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

1-मु0अ0सं0 54/99 धारा 323,324,504 भा०द०वि० थाना बलुआ।

2-मु०अ०सं०123ए/2010 धारा 147,323,504,506 भा०द०वि० थाना बलुआ।

3- मु०अ०सं० 139/2022 धारा 147,323,352,506,325 भा०द०वि० थाना बलुआ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.09.2024

थाना धीना जनपद चन्दौली

□थाना धीना पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

□10000रू0/- का इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली– श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, जोन वाराणसी, डॉ0 ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में वांछित चल रहे अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धीना के मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 में वांछित 10000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त अनूप चौबे उर्फ मोनू S/O स्व0 राम लखन चौबे उर्फ द्विज निवासी ग्राम हुसेनपुर थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ , हाल पता महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जिला चन्दौली को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही - प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव मय पुलिस टीम के साथ थाना मुगलसराय क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त अनूप चौबे उर्फ मोनू S/O स्व0 राम लखन चौबे उर्फ द्विज निवासी ग्राम हुसेनपुर थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ , हाल पता महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जिला चन्दौली पडाव से मढिया मोड़ थाना मुगलसराय पर मौजूद है सूचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को मढिया मोड़ थाना मुगलसराय पहुंचकर घेराबन्दी कर पड़ाव के मढिया मोड़ से समय करीब 06.40 बजे प्रातः में गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त – अनूप चौबे उर्फ मोनू S/O स्व0 राम लखन चौबे उर्फ द्विज निवासी ग्राम हुसेनपुर थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ , हाल पता महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जिला चन्दौली उम्र 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 93/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

गिफ्तारी का स्थान व समय-   पडाव के मढिया मोड थाना मुगलसराय से समय 06.40 बजे दिनांक 20.09.2024

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 ताराचन्द्र सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 वीरबहादुर थाना धीना जनपद चन्दौली
4. उ0नि0 राजेश सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
5. का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली
6. का0 घनश्याम थाना धीना जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक:20.09.2024

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

□थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा महिला की हत्या करने वाला अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 364/24 धारा 103(1) बी.एन.एस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में वांछित अभियुक्त मुराहू यादव पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी हृदयपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 59 वर्ष को दिनांक 19.09.2024 को प्लाण्ट डिपो के पास हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.08.2024 को गजाधर यादव पुत्र बाढू राम यादव निवासी ग्राम हृदयपुर थाना मुगलसराय चन्दौली द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बडी बहन सीमा उम्र करीब 38 वर्ष दिनांक 28.08.24 को काम के लिए गयी थी लेकिन शाम तक घर वापस नही आयी हम लोग उसको खोज रहे थे कि उनका शव हृदयपुर जाने वाली सड़क के किनारे D.F.C.C. रेल लाईन निर्माण हेतु बनाये जा रहे पिलर के पास गढ्ढे मे मिली थी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में मु0अ0स0 364/24 धारा 103(1) बी.एन.एस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त मुराहू यादव पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी हृदयपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली का नाम प्रकाश में आया था।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सीमा(मृतका) से उसका अवैध प्रेम प्रसंग था मृतका व अभियुक्त का सम्बन्ध बहुत समय से चला आ रहा था। अभियुक्त द्वारा मृतका का हमेशा मदद करता रहता था किन्तु सीमा द्वारा लगभग 08 महीने से उसके साथ सम्बन्ध रखने के लिए मना कर दिया गया। जिसके कारण अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या करने का साजिश रची गयी। दिनांक 28.08.2024 को बहुत बारिश हो रही थी। अभियुक्त द्वारा बनाये साजिश के तहत सीमा रोज की भांति उस दिन भी काम पर अकेला जाते देख उसका पीछा किया तथा उसके पहने साडी से हीं उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर रेलवे लाईन के पास गढ्ढे में फेक दिया।

नाम व पता अभियुक्त-मुराहू यादव पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी हृदयपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 59 वर्ष

आपराधिक इतिहास– मु0अ0स0 364/24 धारा 103(1) बी.एन.एस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

2.निरीक्षक चन्द्रकेश शर्मा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 दीनानाथ थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

4.का0 श्रवण कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

प्रेस नोट दिनांक- 20.09.2024

जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।

□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।

□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 05 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 20.09.2024 को ऐसे ही 05 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक-20.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 03.08.1997 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.गुड्डू सिंह उर्फ राम सिंहासन पुत्र छागुर सिंह निवासी फुल्ली थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 71/1997 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-20.09.24 को पीठासीन अधिकारी (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.गुड्डू सिंह उर्फ राम सिंहासन पुत्र छागुर सिंह निवासी फुल्ली थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट-दिनांकः 20.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 20.09.2024 को कुल 161 वाहनों का चालान करते हुए 1,90,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 161 वाहनों का चालान करते हुए 1,90,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या

1   मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-11

2.   बिना हेलमेट-81

3.   नो पार्किंग-44

4.   बिना इंश्योरेंस-02

5.   गलत नंबर प्लेट- 06

6.   यातायात नियमों का उलंघन-08

7.   मोबाइल का प्रयोग - 01

8.   बिना फिटनेस-03

9.   सेफ्टी बेल्ट-02

10   अन्य-03

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 20.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-161

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः- 1,90,000/- रूपयें।

प्रेस नोट- दिनांक 20.09.2024

जनपद चंदौली थाना अलीनगर

थाना अलीनगर पुलिस द्वारा पिकअप में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 04 राशि गोवंश बरामद व 01 पशु तस्कर गिरफ्तार

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली व आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सिंधीताली पुल हाईवे पर हिकमत अमली से जाम लगाकर चेकिंग की जा रही थी जिस दौरान बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP64CT1740 को चेक किया गया तो उसमें कुल 04 राशि गोवंश (02 राशि गाय 02 राशि बछड़ा) जिन्दा अवस्था में बरामद किया गया व वाहन चालक/स्वामी पंकज कुमार अग्रहरी पुत्र उदय प्रताप निवासी ग्राम म्योरपुर थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 20 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 241/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण- 1.पंकज कुमार अग्रहरी पुत्र उदय प्रताप निवासी ग्राम म्योरपुर थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र

पंजीकृत अभियोग-1.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनिमय थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1.एक वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP64CT1740

2.04 राशि गोवंश बरामद

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. गोविन्द सिह हल्का प्रभारी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.हे0 का0 लालचन्द थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 अनिल यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।